

कार्यालय अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/1406

दिनांक:- 12.07.2020

:: आदेश ::

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 33(2)गृह-9/2019 जयपुर दिनांक 11.07.2020 के द्वारा पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लागया गया है कि राज्य की सीमाओं पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसका एक प्रमुख कारण है। ऐसे प्रकरण भी सामने आये हैं जहां राज्य के निवासी, अन्य राज्यों में सामाजिक समारोह, जैसे शादी इत्यादि, में सम्मिलित होकर स्वयं संक्रमित हुए हैं तथा इन्होंने इसके साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित किया है।

आज दिनांक तक राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु किये गये विभिन्न प्रयासों को मध्यनजर रखते हुए एवं जन सुरक्षा के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि अन्तरराज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाये। अतः निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं कि, जो आगामी आदेश तक लागू रहेंगे:-

I. राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आगमन

राज्य से बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश निम्नानुसार नियंत्रित किया जायेगा:

1. निर्धारित उड़ान/ट्रेन/बस:- ऐसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के पश्चात ही यात्रा करने हेतु अनुमत है। हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जायेगी।
2. सड़क मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन):- बॉर्डर पर स्थापित चैकपोस्ट पर समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जायेगी एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जायेंगे।

II. राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान

1. राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। ऑनलाईन (epass.rajasthan.gov.in) पास सुविधा के साथ-साथ यह पास निम्न कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकेगा।
 - (1) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू।
 - (2) जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।
 - (3) संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट।
 - (4) संबंधित उप पुलिस अधीक्षक।
 - (5) स्थानीय पुलिस स्टेशन।

क्रम संख्या 03 से 05 के अधिकारी उनके स्तर पर जारी किये गये पासों की सूचना जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक को प्रतिदिन देंगे।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उसको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा सम्बन्धी स्क्रीनिंग की पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।
3. जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 02 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग व पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर किया जायेगा।
4. निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा:-



District Magistrate
JHUNJHUNU

- (1) जो व्यक्ति 12 जुलाई, 2020 को निर्धारित उड़ान/ट्रेन/RSRTC बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे हैं।
- (2) विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यू/एक्सीडेन्ट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में), सत्यापन पश्चात्।
- (3) मीडिया तथा अत्यावश्यक सेवाओं में सलंगन व्यक्ति अपने परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन कर सकेंगे।

उक्त आदेश अन्तरराज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों पर ही लागू होगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (लोडेड/अनलोडेड) का आवागमन बिना किसी परमिट के पूर्वततः निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

(उमर दीन खान)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

JHUNARUNU

दिनांक:- 12.07.2020

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/1406

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुंझुनू।
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, समस्त जिला झुंझुनू।
8. उप पुलिस अधीक्षक, _____ (समस्त जिला झुंझुनू)
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
10. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू।
11. आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
12. प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुंझुनू।
14. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनू।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनू।
16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुंझुनू।
17. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू।
18. जिला स्तरीय/उप खण्ड स्तरीय अधिकारीगण समस्त जिला झुंझुनू।



जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
एवं अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
District Magistrate
JHUNARUNU

12/07/2020